न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं

पीठासीन अधिकारी :– **श्री सुभाष चंद्र**

तहसीलदार उदयपुरवाटी सरकार जरिये पटवारी हल्का मनकसास,

बनाम

श्री शीशराम पुत्र श्री मूंगाराम जाति गुर्जर निवासी मनकसास तहसील उदयपुरवाटी

अर्तगत धारा 91 राज0 भू. राजस्व अधिनियम, 1956

–:निर्णयः–

प्रकरण संख्याः– 20 / 2021 दिनांक 26.10.2021

पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि पटवारी हल्का मनकसास ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश कर सूचित किया कि संवत 2078 में मौजा ग्राम मनकसास पटवार हल्का मनकसास के हाल भूमि खसरा नम्बर 2498 / 63 रकबा 1.25 है0 किस्म गै0 मु0 पहाड़, खसरा नं. 63 रकबा 3.12 किस्म गै0 मु0 पहाड़ किता 2 का कुल रकबा 4.37 है0 में से 0.45 है0 भूमि पर शीशराम पुत्र श्री मूंगाराम जाति गुर्जर निवासी मनकसास ने अनाधिकृत रुप से अतिक्रमण किया हैं। प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी अपना जबाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी ने अपने जबाब में उल्लेखित किया कि उसका उक्त आराजी पर पूर्वजों के समय से कब्जा है। उक्त आराजी पर अप्रार्थी ने पुराने कब्जे के अनुसार उसके हक में नियमन करने हेतु निवेदन किया है। उक्त भूमि मौजा ग्राम मनकसास पटवार हल्का मनकसास के हाल भूमि खसरा नम्बर 2498 / 63 रकबा 1.25 है0 किस्म गै0 मु0 पहाड़, खसरा नं. 63 रकबा 3. 12 किस्म गै0 मु0 पहाड़ किता 2 का कुल रकबा 4.37 है0 में से 0.45 है0 भूमि पर अतिक्रमण करने के सम्बंध में किसी प्रकार का कदीमी साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया है।

पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अप्रार्थी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत सरकारी भूमि पर अनाधिकृत रुप अतिक्रमण करने के फलस्वरुप अतिक्रमि घोषित किया जाता हैं तथा उपरोक्त मुतनाजा अराजी से भौतिक रुप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आदेश

वाके ग्राम मनकसास पटवार हल्का मनकसास के हाल भूमि खसरा नम्बर 2498 / 63 रकबा 1.25 है0 किस्म गै0 मु0 पहाड़, खसरा नं. 63 रकबा 3.12 किस्म गै0 मु0 पहाड़ किता 2 का कुल रकबा 4.37 है0 में से 0. 45 है0 भूमि पर से शीशराम पुत्र श्री मूंगाराम जाति गुर्जर निवासी मनकसास को बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं, साथ ही इस अनाधिकृत अतिक्रमण के दण्ड स्वरूप शरह लगान 1 रुपये का 50 गुणा यानि कुल 50 / –रुपये (अक्षरे रू पच्चास मात्र) बतौर जुर्माना अप्रार्थी पर आरोपित किया जाता है। निर्णय अनुसार मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखकार एवं भू0अभिलेख निरीक्षक को लिखा जाये। भू अभिलेख निरीक्षक को आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी को सरकारी भूमि पर से बेदखल कर रिपोर्ट बेदखली पेश करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज **दिनांक 26.10.2021** को खुले इजलास सुनाया गया।

2020-21 ... 57

50 रू

(सुभाष चंद्र)
तहसीलदार उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.03.30 12:44:49 IST
Reason: SelfAttested